न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 92/2019 **{RCMS 2019/00155}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

दावा :— अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :— 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्वत 2073—2076 अनुसार ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 676/226 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादी ने उक्त खसरा की भूमि में से 0.21 हैक्टर में बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के निजि दुकानो का निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का मण्डावरा ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 03.01.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 09/2019 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 676/226 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय को प्रतिवादी के हक हिस्से को राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश कर मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये अखबार स्याहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनॉक 27.02.2020 [illegible] अंक के पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति [illegible], प्रतिवादी को आवाज लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादी के विरुद्ध एक—पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी नकल सम्वत 2073—2076 की प्रमाणित प्रति, एवं चालू जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 676/226 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में प्रतिवादी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त किये निजि दुकानों का निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2073–76 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- मण्डावरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- मण्डावरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- मण्डावरा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 321
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 235

काश्तकार का नाम:-

1. सूरजमल पुत्र गणेशलाल हिस्सा- पूर्ण जाति- जांगिड सा. कुचामनसिटी हाल निवासी जलगांव महाराष्ट्र खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
227	0.0200	गै.मु.कुँआ	0.0200				
664/228	0.2400	चाही 3	0.2400	5.52			
668/228	0.1977	चाही 3	0.1977	4.55			
कुल खसरे - 3	0.4577		0.4577	10.0700			

प्रश्नगत ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 676/226 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय प्रतिवादी के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा निजी दुकानो का निर्माण कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 676/226 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को [illegible] कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा [illegible] कर [illegible] मिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनांक [illegible] को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:48 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 92/2019 **{RCMS 2019/00155}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान

दावा :— अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 676/226 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11.10.2021 को जारी की गई।

दस्तखत........ उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.......... कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:48 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए